दिल्ली विधान सभा सिववालय समाचार भाग-2

संख्या : 158

सदस्यों को नजरबन्दो एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को थाना चाणक्य पुरी, दिल्ली, का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

" मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननोय सदस्य सर्व श्री जगदोश मुखो, राम भज, जय भगवान, सुशील चौधरी, मोहन सिंह बिष्ट, नरेश गोड़ व पूरण चन्द योगी को 24.07.2001 को 1200 बजे दिल्ली पुलिस के अधिनियम 1978 की धारा-65 के अतर्गत पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों को अवजा करने के कारणें नजरबन्द किया गया।

उन्हें वहीं से उसी दिन अ**र्था**त 24·07·2001 को 1210 बजे रिहा कर दिया गया ।"

एस • के • शर्मा स^{िचव}

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, 24th July, 2201/ Sh-ravana 2, 19233(Saka)

No.158

DETENTION AND RELEASE OF MEMNERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from P.S. Chankaya Puri, N. Delhi.

N I have the honour to inform you that S/Sh. Jagdish Mukhi, Ram Bhaj, Jai Bhagwan, Sushil Choudhary, Mohan Singh Bisht, Naresh Gaur, & Puran Chand Yogi, MLAs were detained u/s 65 of Delhi Police Act 1978 for disobeying the law direction of Police at 12.00 Hrs on 24th July, 2001.

same day i.e. 24.7.2001.

S.K.SHARMA SECRETARY